न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 24/16 **सन् 2016**

आरसीएमएस संख्या 2017/00103

बउनवानी:–

1. श्रीमति राजरानी पत्नि डॉ भूपेन्द्र सिहं सुपुत्री कैप्टन रणवीर सिंह यादव
2. श्री अनूप सिंह पुत्र स्व. कैप्टन रणवीर सिंह यादव
3. श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व. कैप्टन रणवीर सिंह यादव
4. श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह जाति ब्राहामण सिक्ख
5. श्री रामजी लाल पुत्र श्री बंशी लाल जाति जाट
6. श्री रामावतार पुत्र श्री बंशी लाल जाति जाट
7. श्री सुखविन्दर रैना पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह सरदार
8. श्रीमति रीना देवी पत्नि श्री सुखविन्दर सिंह सरदार
9. श्री परमजीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह, सरदार
10. श्री पपेन्द्र सिंह पुत्र सरवन सरदार
11. श्रीमति किरण देवी पत्नि कुलदीप सिंह खत्री
12. श्री विपिन सिंह पुत्र स्व. श्री भजन सिंह सरदार
13. श्री हरविन्द्र सिंह पुत्र स्व. भजन सिंह सरदार
14. श्री अमृत कौर पत्नि श्री जोगेन्द्र सिंह सरदार
15. श्री गजेन्द्र कौर पत्नि श्री गुरूदेव सिंह सरदार
16. श्रीमति तजीन्द्र कौर पुत्री भजन सिंह सरदार
17. श्रीमति जसवन्त कौर पत्नि स्व. भजन सिंह सरदार
18. श्रीमति परवीन कौर पुत्री स्व. भजन सिंह सरदार
19. श्रीमति प्रदीप कौर पुत्री स्व. भजन सिंह सरदार
20. श्री योगन्द्र सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह, समस्त निवासीयान ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार,जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार
2. श्री अजीत सिंह पुत्र ओनाड सिंह शेखावत, नि. ग्राम दौलतपुरा तह.खण्डार
3. सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार खण्डार द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1441 निर्णय दिनांक 15.3.2016 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956)

उपस्थितः– 1. श्री हंसराज यादव वकील अपीलान्ट

2. श्री गजानन्द गोयल वकील रेस्पो.

–: निर्णय :– **दिनांक 27.11.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार खण्डार द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 1441 निर्णय दिनांक 15.3.2016 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि सुयोग्य तहसीलदार ने प्रकरण के विवादित मुददो को एवं नामा. तस्दीक विषयक संबंधी नियमों को बिल्कुल भी सही एवं वास्तविक अर्थो में समझे बिना ही एक अनुचित एवं अवैध तथा परवर्स निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा पत्रावली संख्या 31/02,32/02,34 से 37/02 मे पारित निर्णय दिनांक 5.5.2005 की बिल्कुल कोई पालना नही की है जबकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर मे उन अपीलों मे तहसीलदार खण्डार एवं माननीय न्यायालय भी पक्षकार थे एवं तहसीलदार एवं माननीय न्यायालय की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में दोनो पक्षो की

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर

बहस सुनकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर ने अपना निर्णय दिनांक 5.5.2005 को पारित किया था, जिसकी सुयोग्य तहसीलदार खण्डार ने अवज्ञा करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील नामा. संख्या 1441 स्वीकृत करने पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया एवं ना ही अपीलार्थी को सुनवायी का एवं अपना पक्ष रखने का एवं शाहदत सफाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट के गैर मौजूदगी में एक पक्षीय निर्णय जैर अपील पारित किया है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टगण साधिकार काबिज है माननीय सिविल न्यायालय खण्डार ने सिविल वाद संख्या 6/08 राजरानी बनाम महेन्द्र सिंह मे प्रार्थीया के कब्जे काश्त के संबंध में दिनांक 17.2.2010 को निर्णय एवं डिक्री पारित की हुई है तथा इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने एस.बी. सिविल रिविजन संख्या 107/11 राजरानी बनाम महेन्द्र सिंह वगै. में दिनांक 9.9.2011 एवं 20.3.2012 तथा 8.5.2013 को प्रार्थीया का हक अधिकार मानते हुए निर्णय पारित किया है। उक्त जैर अपील नामा. से संबंधित भूमि खसरा नम्बर 683/281(पुराना ख0न0 281/15) एवं 20/02 मे स्थित प्रार्थीया के बोर पर प्रार्थीया के नाम से विधुत कनेक्शन लगा हुआ है जिसके खाता संख्या 2102–194 एवं 2102–158 है। यह तर्क भी दिया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर ने अपने निर्णय दिनांक 5.5.2005 द्वारा स्पष्ट रूप से जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को निर्देश पारित किये थे कि " विवादित भूमि का आवंटन कब्जे काश्त वाले पूर्व समिति सदस्यों खेतीहर मजदूरो व काश्तकारों को ही नियमानुसार किया जावे। कब्जे काश्त वाले पूर्व समिति सदस्यों ने मौके पर जाब्ते मे अथवा मौका कब्जा आदि अनुसार वास्तविक भूमि हस्तान्तरण किये हुए हो तो पूर्व समिति सदस्य अथवा कब्जेदार को नियमानुसार ही आवंटन/नियमन किया जावे" किन्तु सुयोग्य तहसीलदार खण्डार ने इस समस्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि तहसीलदार खण्डार द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1441 को जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27.2.2001 की पालना में दिनांक 15.3.2016 को स्वीकृत किया गया है किन्तु जिला कलेक्टर का उक्त आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय दिनांक 5.5.2005 से खारिज हो जाने के कारण आदेश जैर अपील पारित करने की दिनांक 15.3.2016 को अस्तित्व मे ही नही था। उक्त दिनांक 15.3.2016 को राजस्व मण्डल का निर्णय प्रभावी था जिसके अनुसार ही तहसीलदार खण्डार को कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार तहसीलदार खण्डार द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर नामा0 जैर बहस स्वीकार करने मे गम्भीर कानूनी भूल की है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.6.2016 को तहसील कार्यालय से जमाबन्दी की नकल लेने पर प्राप्त होने पर दिनांक 14.6.2016 को आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1441 दिनांक 15.3.2016 को जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 27.2.2001 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है जिसके द्वारा उक्त भूमि लक्ष्मणशाह शरणार्थीयान कृषि कोपरेटिव फार्मिगं सोसायटी लिमिटेड दौलतपुरा को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6.12.1950 को 20 वर्ष की लीज पर दी गयी थी किन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 13.2.1992 के अनुसार आवंटित भूमि का उपयोग संयुक्त रूप से नही होने व पृथक पृथक काश्त करने एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त समिति वर्ष 1976 मे अवसायन मे ली जा चुकी है अर्थात समिति अस्तित्व मे नही होने व आवंटन की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक एफ. 2(40)सह.स/राजस्व/89/1064–70 दिनांक 27.2.2001 से सोसायटी को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। उक्त सोसायटी के एक सदस्य श्री अमोलकराम पुत्र सीताराम द्वारा उसके कब्जे काश्त की भूमि को अपने नाम खातेदारी करवाने बाबत सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर, राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर एवं उसके पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच मे रिट स्पे. संख्या 1209/2006 उनवानी अमोलकराम बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर व अन्य प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 28.5.2008 को खारिज की जा चुकी है, एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय के अनुसार उक्त भूमि कब्जे के आधार पर किसी को आवंटित नही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 27.2.2001 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे दायर एस.बी.सिविल रिट संख्या 1216/01 उनवानी महेश चन्द बनाम राजस्थान राज्य

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जरिये राजस्व मण्डल अजमेंर व अन्य में जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 27.2.2001 की क्रियान्वति आदेश दिनांक 24.4.2001 के द्वारा स्थिगित की गयी थी जिसको आदेश दिनांक 7.7.2006 को कन्फर्म किया जा चुका है, जो वर्तमान मे प्रभावी है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा रिब्यूटल मे कथन किया कि राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 5.5.2005 के विरूद्व कोई व्यक्ति द्वारा अभी तक अपील प्रस्तुत नही की गयी है इसलिए वर्तमान मे राजस्व मण्डल का निर्णय प्रभावी है। जहॉ तक अमोलकराम की रिट का प्रश्न है तो अमोलकराम द्वारा अपनी भूमि का कब्जा के आधार पर नियमन करवाने बाबत व्यक्तिगत दावा व अपीले क्रमशः सहायक कलेक्टर न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा खारजि कर दिये जाने पर उसकी रिट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बैच व डबल बैंच मे की गयी थी जिसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच द्वारा दिनांक 28.5.2008 को खारिज कर दिया है। वकील रेस्पो. के कथनानुसार जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 27.2.2001 की क्रियान्वति दिनांक 24.4.2001 से स्थिगित की जाकर दिनांक 7.7.2006 से कन्फर्म किया गया है तो फिर जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 27.2.2001 की पालना में दिनांक 15.3.2016 को पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत किस प्रकार हो सकता है। अर्थात आदेश जैर अपील नामा0 1441 दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.4.2001 एवं 7.7.06 की अवहेलना की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि वकील अपीलान्ट के कथनानुसार जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 27.2.2001 की पालना में तहसीलदार खण्डार द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1441 दिनांक 15.3.20016 पारित किया है किन्तु तत्समय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का आदेश दिनांक 27.2.2001 अस्तित्व मे नही था क्योकि उक्त आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के निर्णय दिनांक 5.5.2005 से खारिज किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे दायर एस.बी. सिविल रिट संख्या 1216/01 उनवानी महेश चन्द बनाम राजस्थान राज्य जरिये राजस्व मण्डल अजमेंर व अन्य में जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 27.2.2001 की क्रियान्वति आदेश दिनांक 24.4.2001 के द्वारा स्थिगित की गयी थी जिसको आदेश दिनांक 7.7.2006 को कन्फर्म किया जा चुका था। अर्थात जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 27.2.2001 पर कोई कार्यवाही नहीं करनी थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके जिला कलेक्टर के उक्त प्रभावहीन व स्थिगित आदेश की पालना में आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वकील रेस्पो. द्वारा अमोलकराम बनाम राजस्व मण्डल मे पारित विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर आदेश जैर अपील विधि सम्मत माना जा सके। चूंकि अमोलकराम द्वारा अपनी व्यक्तिगत कब्जे काश्त की भूमि को नियमन करवाने हेतु जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 27.2.2001 से पूर्व ही सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे दावा प्रस्तुत किया जा चुका था, इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे पारित निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है। इस प्रकार तहसीलदार खण्डार द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 27.2.2001 की पालना में पारित आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1441 दिनांक 15.3.2016 इसलिए विधिसम्मत नही है क्योकि उक्त आदेश को माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 5.5.2005 से निरस्त किया जा चुका था तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.4.2001 एवं 7.7.2006 से उक्त आदेश की क्रियान्वति स्थिगित की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर के प्रभावहीन एवं स्थिगित आदेश की पालना मे पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत नही होने के कारण आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1441 दिनांक 15.3.2016 खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.30 16:34:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: